न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस0

वाद पत्र संख्या– 09/2024

1. ओमप्रकाश पुत्र रामूराम
2. नानूराम पुत्र रामूराम

समस्त जाति जाट निवासीयान प्रतापपुरा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– 1. श्री हनुमान जाखड, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः–29.12.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया गया है कि वाकै राजस्व ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का जोरपुरा, भू0अभि0नि0क्षेत्र जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसके अराजे ख0न0 298/1 रकबा 0.1770 है0, ख0न0 313 रकबा 0.7587 है0 ख0न0 314 रकबा 0.0126 है0 तथा ख0न0 315 रकबा 0.5184 है0 कुल किता–4, कुल रकबा–1. 4667 है0 है। तथा इनके जिसमें प्रार्थी सं01 का 105/116 हिस्सा, प्रार्थी सं02 का 11/116 हिस्सा, है।

प्रार्थीगण की माता तीजा देवी पत्नि रामूराम ने एक विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक मे पेश किया था जिसके मुकदमा नं0 59/2016 था। जिसकी प्राथमिक डिकी होकर नक्शे कुरेजात बनकर आये थे पुर्व मे ख0न0 297, 298, 313, 314,3 15, कुल किता–5 कुल रकबा–5 बीघा 11 बिस्वा था जिसमे 1/2 हिस्से का खातेदार कानाराम पुत्र गोपाल लाल यादव था तथा 1/2 हिस्से की खातेदार की माता तीजा देवी पत्नि रागूराम थी। दोनो पक्षो मे आपसी सहमति से उक्त अराजियात का मौके कब्जे के अनूसार विभाजन करवाया था।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

Scanned with OKEN Scanner

जिसके अनुसार प्रार्थीगण की माता के हिस्से मे ख0न0 298/1, 313, 314, 315 किता–4 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा आये तथा सहखातेदार कानाराम के हिस्से मे खं0न0 297, 298 किता–2, कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा आये। इस प्रकार से उक्त अराजियात का आपसी सहमति से विभाजन होकर नक्शे कुरेजात बनकर उन पर सहमति से विभाजन होकर नक्शे कुरेजात बनकर उन पर सहमति के हस्ताक्षर होकर मान्य न्यायालय के समक्ष पेश हो गये मान्य न्यायालय ने दिनांक 8/6/2016 को विभाजन का दावा अन्तिम डिक्री कर दिया गया नक्शे व राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो गया मौके पर प्रार्थीगण मुताबिक विभाजन काबिज काश्त है उक्त आराजियात विभाजन के समय प्रार्थीगण के माता के नाम दर्ज थी वर्तमान मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर चली आ रही है। वर्ष 2016 मे जो नक्शे कुरेजात बनकर आये उसी के अनुसार वर्तमान मे प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है परन्तु नक्शे मे तरमीन गलत हो रखी है। विभाजन के समय जो नक्शा बनकर आया उसकी तरमीन मे वर्तमान मे परिवर्तन हो रखा है मौके कब्जे व विभाजन मे बनाये गये नक्शे के अनुसार तरमीन नही है नक्शे जब आनलाईन हुये तो तरमीन मे परिवर्तन हो गया। मौके पर किसी प्रकार का सीमा संबंधी विवाद नहीं है प्रार्थीगण विभाजन के समय जो नक्शा तैयार किया गया था उसी अनुसार काबिज काश्त है, परन्तु प्रार्थीगण के नक्शे मे जो परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से पडोसी खातेदारो से विवाद हो सकता है प्रार्थीगण अपने विभाजन के बाद जो नक्शा तैयार किया गया उसी के अनुसार वर्तमान मौके कब्जे के अनुसार तरमीम करवाना चाहते है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण की अराजे खं0न0 298/1 रकबा 0.1770 है0, ख0न0 313 रकबा 0.7587 है0 ख0न0 314 रकबा 0.0126 है0 तथा ख0न0 315 रकबा 0.5184 है0 कुल किता–4, कुल रकबा–1.4667 है0 वाकै ग्राम प्रतापपुरा तह0 जोबनेर के नक्शे मे वर्तमान मे मौके कब्जे के अनुसार तरमीन दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार जी जोबनेर को देने की कृपा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा पत्रांक एलआर/24/2050 दिनांक 13.05.2024 द्वारा जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। उक्त रिपोर्ट अस्पष्ट होने पर तहसीलदार जोबनेर को पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा पत्रांक एलआर/24/4141 दिनांक 25.11.2024 द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट अस्पष्ट होने से तहसीलदार जोबनेर को पुनः विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार जोबनेर द्वारा पत्रांक एलआर/2025/4505 दिनांक 20.11.2025 को इस आशय की पेश की गयी कि ग्राम प्रतापपुरा के खसरा नंबर 298/1/0.1770, 313/0.7587, 314/0.0126, 315/0.5184 किता 04 रकबा 1.4667 की खातेदारी ओमप्रकाश पुत्र रामू हि0 105/116 बिदाम देवी पत्नि ओमप्रकाश हि 11/116 जाति जाट सा0 देह राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी को उक्त आराजीयात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के वाद संख्या 59/16 उनवान तीजा देवी पत्नि रामू (वादी की माता) बनाम हनुमान वगै0 फैसला दिनांक 08.06.2016 के अनुसार ग्राम प्रतापपुरा के नामां संख्या 863 दिनांक 16.06.16 डिक्री आदेशानुसार प्राप्त हुई है। वादी/प्रतिवादीगण डिक्री न्यायालय आदेशानुसार ही मौके पर उक्त खसरा नंबरान पर कब्जा काश्त कर रहे है। वादी के डिक्री आदेशानुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण वादी द्वारा 136 धारा के तहत शुद्धि का वाद दायर किया गया जिसके संबंध में वादी के खसरा नम्बरों व आसपास के खसरा नम्बरों का मौका निरीक्षण राजस्व नक्शे सीट के अनुसार किया गया। मौके पर वादी द्वारा ग्राम प्रतापपुरा की उक्त खसरा नम्बरों की सर्वेसीट उपलब्ध कराई गई। ग्राम प्रतापपुरा की सर्वेसीट व पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा सीट में उक्त खसरा नम्बरो की आकृति में अन्तर है। वादी सर्वे सीट के खसरा नम्बरो के अनुसार कब्जा काश्त कर रहा है। पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा सीट की रकबा बरारी की गई जो निम्नानुसार है:–

खसरा नंबर	जमाबंदी में दर्ज रकबा	नक्शा सीट में रकबा बरारी के अनुसार रकबा	रकबा बरारी की स्थिति	
			कमी	बेशी
313	0.7587	0.3887	0.3700	....
315	0.5184	0.6684	...	0.1500
316	0.7840	0.6340	0.1500	.....
294	2.9589	3.3289	....	0.3700
कुल	5.0200	5.0200	0.5200	0.5200

उक्त खसरा नम्बरान 313, 315, 316, 294 में कमी–बेशी रकबा बरारी के अनुसार है। परन्तु उक्त खसरा नम्बरों के खातेदार जमाबंदी रकबा 313/0.7587, 315/0.5184, 316/0.7840, 294/2.9583 अनुसार व सर्वे सीट के नक्शे के अनुसार कब्जा काश्त कर रहे हैं। न्यायालय डिक्री आदेशानुसार वाद में भी पूर्व में पडौसी खातेदारों के शपथ पत्रों अनुवार व मौके के कब्जा अनुसार उक्त खसरा नम्बरों का निर्णय पारित किया गया। वादी डिक्री आदेशानुसार व सर्वे सीट के अनुसार ही कब्जा काश्त कर रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

Scanned with OKEN Scanner

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र, तहसीलदार जोबनेर की जवाब/मौका रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बरान 313, 315, 316, 294 में कमी–बेशी रकबा बरारी के अनुसार है। परन्तु उक्त खसरा नम्बरों के खातेदार जमाबंदी रकबा 313/0.7587, 315/0.5184, 316/0.7840, 294/2.9583 अनुसार व सर्वे सीट के नक्शे के अनुसार कब्जा काश्त कर रहे हैं। न्यायालय डिक्री आदेशानुसार वाद में भी पूर्व में पडौसी खातेदारों के शपथ पत्रों अनुवार व मौके के कब्जा अनुसार उक्त खसरा नम्बरों का निर्णय पारित किया गया। वादी डिक्री आदेशानुसार व सर्वे सीट के अनुसार ही कब्जा काश्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। खसरा नंबर 298/1 रकबा 0.1770 हे0, खसरा नंबर 313 रकबा 0.7587 हे0, खसरा नंबर 314 रकबा 0.0126 हे0, खसरा नंबर 315 रकबा 0. 5184 हे0 वाके ग्राम प्रतापपुरा की तरमीम तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.11.2025 के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.11.2025 निर्णय के साथ जुज रहेगी। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neha
नेहा राठी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner